जोधपुर . बुधवार . 13.11.2013 राजस्थान पत्रिका

सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत

विदेश जाने में बाधक नहीं बनेगा निचली अदालत का आदेश

जोधपुर
justice.jodhpur@patrika.com

राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने उनका प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए उनके विदेश आने-जाने में बाधक बन रहे निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

दरअसल, फिल्म अभिनेता सलखान खान को हरिण शिकार प्रकरण में निचली अदालत ने पांच वर्ष की सजा सुना रखी है। उक्त आदेश के कारण हाल ही में सलमान खान के वीजा नवीनीकरण आवेदन को ब्रिटेन ने खारिज कर दिया था। वहां के इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार किसी प्रकरण में कन्वीक्ट होने पर आरोपी को वीजा नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर सलमान का वीजा भी रिन्यू नहीं किया गया।

जिस पर सलमान खान ने हाईकोर्ट में लम्बित आपराधिक विविध याचिका में अधिवक्ता तिरुपति चन्द्र शर्मा भादरा के माध्यम से प्रार्थना पत्र पेश किया। सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता व रमित मेहता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता फिल्म अभिनेता है। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग देश-विदेश में होती है। प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण उनको अक्सर विदेश जाना पड़ता है। हाईकोर्ट ने उनको विदेश जाने की अनुमति दे रखी है, लेकिन निचली अदालत द्वारा पारित कन्वीक्शन का ऑर्डर उनके विदेश जाने में बाधक बन रहा है। लिहाजा, हाईकोर्ट इस आदेश पर रोक लगाकर अथवा अन्य निर्देश जारी कर उनको राहत प्रदान करें। ताकि अन्य देशों के इमिग्रेशन कानून उनके विदेश जाने में अड़चन पैदा नहीं करे।

अधिवक्ता मेहता ने उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों का भी हवाला दिया। इसके विपरीत राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रामेश्वरलाल जांगिड़ व राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान अदालत में सलमान खान की ओर से अधिवक्ता कुणाल सबरवाल, समीर जैन, नरेन्द्र गहलोत व अंकुर आनंद शर्मा भी मौजूद थे।

(विधि संवाददाता)